राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1345/2014/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन– II, जोन–II,जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स आई.आई.जी.एम.प्रा.लि.,
न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह, ...अपीलार्थी की ओर से
उप राजकीय अभिभाषक
श्री आर.सी.अग्रवाल,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 237/अ.प्रा.–।/आरवीएटी/जयपुर/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होनें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,घट–द्वितीय, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2013 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित कर व शास्ति को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 15.01.2013 को वाहन संख्या आरजे–14–जीए–8677 को बिन्दायका पैट्रोल पम्प, जयपुर पर चैक किया। वाहन में सिलाई मशीन बगरू से बिन्दायका, जयपुर परिवहनित की जा रही थी। वाहन चालक ने परिवहनित माल से संबंधित मै0 आई.आई.जी.एम.प्रा0लि0 की भाड़ा पर्ची दिनांक 15.01.2013 व कोटेशन संख्या 12176 दिनांक 03.01.2013 पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि वाहन में बिना इनवॉयस के माल का परिवहन किया जा रहा था, जिसे सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी ने वेट इनवॉयस पेश किया। प्रस्तुत जवाब को पश्चातवर्ती सोच मानकर इसे अस्वीकार करते हुए, परिवहनित माल कीमतन रू0 3,15,000/– पर 5 प्रतिशत की दर से कर रू0 15,750/– तथा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत कुल माल की कीमत पर 30 प्रतिशत से शास्ति रुपये 94,500/– कुल रू0 1,10,250/– प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध मांग आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए, आरोपित मांग को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिविरूद्ध बताया तथा सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि परिवहनित माल राजस्थान राज्य में ही बगरू, जयपुर से बिन्दायका, जयपुर चालान के जरिये परिवहनित किया जा रहा था तथा चालान में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ था कि Invioce will be sent separately. चालान में माल भेजने वाले व माल प्राप्त करने वाले व्यवहारी के नाम पते व टिन नम्बर व माल से सबंधित सभी विगत स्पष्ट रूप से अंकित की हुई थी। सशक्त अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई जांच नहीं की गयी तथा बिना किसी जांच के कर व शास्ति का आरोपण कर दिया गया जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। उनका यह भी कथन था कि वेट अधिनियम के तहत बिल बाद में जारी किया जाता है तथा माल चालान के जरिये प्रेषित कर दिया जाता है। वक्त चैकिंग वाहन के साथ वांछित दस्तावेज चालान व भाड़ा पर्ची जिसमें कि वाहन संख्या अंकित थी, मौजूद थे। सशक्त अधिकारी द्वारा नोटिस की पालना में बिल की प्रति पेश कर दी गयी थी। प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन का कोई दोषी मनोभावना नहीं थी। सशक्त अधिकारी द्वारा कर व शास्ति आरोपण में विधिक भूल की गई है। उन्होनें अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि बगरू से बिंदायिका, जयपुर के लिए परिवहनित माल सिलाई मशीने जरिये कोटोशन स्लिप के परिवहनित की गई। वक्त जांच, विधिक दस्तावेज वैट इनवॉयस परिवहनित माल के साथ नहीं पाया गया, जो कि अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन है। माल के परिवहन के साथ वेट इनवॉयस होना अनिवार्य है। अतः 76(2)(बी) के स्पष्ट उल्लंघन के पाये जाने पर ही सशक्त अधिकारी द्वारा मांग सृजित की गई है। अपीलीय अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम के प्रावधानों को नजर अन्दाज करते हुए जो निर्णय पारित किया है, गलत है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

6. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2014 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष